

राजस्थान सरकार
वन विभाग

प.एफ.नं. 3(03)वन/2023

जयपुर, दिनांक-

अधिसूचना

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 53) की धारा 36क की शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद्वारा स्थानीय समुदायों के साथ परामर्श करने के पश्चात नीम का थाना जिले की तहसील नीम का थाना व पाटन मे स्थित आरक्षित वन खण्ड गोंवडी, गाडाराटा, डोकन एवं पाटन वन भूमि, जिसका विवरण नीचे दी गई अनुसूची-1 एवं सीमाओं का विवरण अनुसूची-11 के अनुसार है, को पारिस्थितिकीय एवं प्राणी जातीय, वनस्पति भू-संरचना सम्बन्धित, नैसर्गिक एवं प्राणीशास्त्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए संरक्षण आरक्षिति घोषित करती है, जिसे भविष्य में **बालेश्वर संरक्षण आरक्षिति** के नाम से जाना जावेगा।

अनुसूची-1

क्र.सं.	जिला	तहसील	वन खण्ड का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टर)	भूमि का वर्गीकरण
1	नीम का थाना	नीम का थाना	गोंवडी	11778.25	रक्षित वन
			डोकन	730.60	रक्षित वन
		पाटन	गोंवडी	1523.05	रक्षित वन
			डोकन	4550.40	रक्षित वन
			पाटन	825.00	रक्षित वन
			गाडाराटा	2761.75	रक्षित वन
योग:-				22169.05 है0	

अनुसूची-11

उत्तरी सीमा रक्षित वनखण्ड डोकन की उत्तरी सीमा
दक्षिणी सीमा रक्षित वनखण्ड गावडी की दक्षिणी सीमा
पूर्वी सीमा रक्षित वनखण्ड गाडाराटा की पूर्वी सीमा
पश्चिमी सीमा रक्षित वनखण्ड गावडी के ग्राम गणेश्वर की पश्चिमी सीमा

राज्य पाल की आज्ञासे

(मोनाली सेन)
वि शोधाधिकारी

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त वरिष्ठ सहायक/ निजी सचिव, मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासनसचिव/समस्त शासनसचिव, राजस्थान, जयपुर।
6. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।

Signature valid
Digitally signed by Monali Sen
Designation: Deputy Conservator
Of Forest
Date: 2023.09.08 15:15:34 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4683310



8. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (एच.ओ.एफ.एफ.), राजस्थान, जयपुर।
9. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन हैं कि उक्त अधिसूचना को REAMS के माध्यम से ई-गजट में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
10. अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त राजस्थान, जयपुर।
11. सभागीय आयुक्त, जयपुर।
12. सभागीय मुख्य वन संरक्षक, जयपुर।
13. जिला कलक्टर, जयपुर।
14. उप वन संरक्षक, सीकर।
15. संसदीय कार्य विभाग।
16. गार्ड पत्रावली।

विशेषाधिकारी, वन

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ प्रेषित हैं :-

1. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली।
2. महानिरीक्षक, वन (वन्यजीव) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली।
3. निदेशक भारतीय वन्य जीव संस्थान, पोस्ट बॉक्स नं. 18 चन्द्रबनी, देहरादून।

विशेषाधिकारी, वन

Signature valid

Digitally signed by Morali Sen
Designation: Deputy Conservator
Of Forest
Date: 2023.09.08 15:15:34 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4683310

